रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 365] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 1986/भाद्र 19, 1908

No. 365] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 1986/BHADRA 19, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 664(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा अर्थात :—

"नियम 11 (1) सरकारी सेवक इस नियम के उपबंधों के अनुसार भारत से बाहर चिकित्सीय उपचार कराने का या यथास्थिति भारत के भीतर या बाहर, चिकित्सीय उपचार कराने पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा करने का हकदार होगा ।

(2) भारत से बाहर चिकित्सीय उपचार कराने का इच्छुक सरकारी सेवक, उस विभाग/मंत्रालय के माध्यम से जिसमें वह सरकारी सेवक कार्य करता है, अपना आवेदन इस नियम के अधीन स्थापित स्थायी समिति को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में देगा ।

(3) सरकारी सेवक अपना या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य का नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट कोई चिकित्सा भारत से बाहर कराना चाहता है, इस नियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के बाहर चिकित्सीय उपचार कराने के लिए पात्र होगा :—

सारणी

(1) हृदयवाहिका शल्यचिकित्सा;

(2) गुर्दा प्रत्यारोपण;

(3) अन्य अंग प्रत्यारोपण;

(4) जोड़ प्रतिस्थापन एवं शल्य चिकित्सा;

(5) अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण;

(6) कतिपय चिकित्सकीय एवं अर्बुदविज्ञान संबंधी विकार, जैसे घोर रक्तता तथा नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा;

(7) सूक्ष्म-वाहिका शल्यचिकित्सा एवं तंत्रिका — शल्य चिकित्सा;

(8) लैसर उपचार जिससे खुली शल्यचिकित्सा की आवश्यकता नहीं रहती;

(9) नेत्र चिकित्सा संबंधी मामलों में आरगान, क्रिप्टन तथा वाई, ए. जी. लैसर से उपचार;

(10) पराश्रव्य स्तबूधता तरंग द्वारा शरीर में अतिरिक्त पत्थरी दूर करना।

(4) केन्द्रीय सरकार (उपनियम 3) की सारणी में विनिर्दिष्ट उपचार सुविधाओं की सूची का समय-समय पर पुनर्विलोकन करने के लिए सक्षम होगी और उसमें राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिवर्धन या लोप कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

(5) केन्द्रीय सरकार इस नियम के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर चिकित्सीय उपचार के लिए केन्द्रीय सरकार के मामलों पर विचार करने और उसकी सिफारिश करने के लिए एक स्थायी समिति गठित कर सकेगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक

(ख) सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव (संयोजक)

(6) भारत से बाहर चिकित्सीय उपचार के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उचित विचार करने के पश्चात् यदि स्थायी समिति का समाधान हो जाता है कि इस बीमारी की चिकित्सा केवल भारत से बाहर की जा सकती है, तो वह आवेदन पर अपनी मंजूरी देते हुए संबंधित विभाग अथवा मंत्रालय को, जहां आवेदक सरकारी सेवक कार्यरत है, प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगी और संबंधित विभाग अथवा मंत्रालय उस प्रमाण पत्र के आधार पर स्थायी समिति द्वारा निर्धारित, पद्धति के अनुसार संबंधित सरकारी सेवक या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य का भारत से बाहर चिकित्सा कराने पर होने वाले आवश्यक व्यय का वहन करेगा।

(7) केन्द्रीय सरकार भारत से बाहर कराए गए चिकित्सीय उपचार पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति को प्राधिकृत करने के लिए सक्षम होगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि केन्द्रीय सरकार सेवक द्वारा नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा के लिए पूर्व मंजूरी नहीं ली जा सकी थी ;

परन्तु इस नियम के अधीन यह तब जब कि भारत से बाहर चिकित्सीय उपचार से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूरी करता हो।

(8) स्थायी समिति, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के साथ एक परिचर के जाने की सिफारिश कर सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि भारत से बाहर चिकित्सा करवा रहे सरकारी सेवक अथवा उसके कुटुम्ब के सदस्य के हित में ऐसा करना आवश्यक है और वह इस प्रकार उपगत हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का भी पात्र होगा।

(9) स्थायी समिति, भारत से बाहर चिकित्सीय उपचार के आवेदन के प्राप्त हो जाने पर यदि यह समझती है कि उक्त बीमारी की चिकित्सा के लिए पर्याप्त सुविधा भारत के भीतर किसी चिकित्सा संस्था में उपलब्ध है तो वह इस निष्कर्ष को रिकार्ड करेगी और भारत के भीतर ऐसी चिकित्सा संस्था में ऐसी बीमारी की चिकित्सा प्राधिकृत करेगी जिसके पश्चात् किसी चिकित्सा पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।

(10) उपनियम (9) के प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्थायी समिति के परामर्श में समय-समय पर ऐसी संस्थाओं के नाम, ऐसी बीमारियों के नाम तथा ऐसी संस्थाओं में उपलब्ध चिकित्सा की किस्में अधिसूचित करेगा।

(11) उपचार के लिए व्यय और पात्रता का वह मापमान जिसके लिए कोई सरकारी सेवक या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य हकदार होगा, तत्समय प्रवृत्त किसी सहायता चिकित्सीय परिचर्या स्कीम के अधीन विदेश मंत्रालय में तत्समान ग्रेड की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के व्यय और पात्रता के मापमान के समान होगा।

[सं. एस-14025/26/85-एम एस]
पी. आर. दासगुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 10th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 664(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Services (Medical Attendance) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, after rule 10, the following rule shall be inserted, namely :—

"Rule 11 (1). A Government servant shall be eligible to obtain medical treatment outside India or, as the case may be, to claim reimbursement of the cost of medical treatment obtained inside or outside India in accordance with the provisions of this rule.

(2) A Government servant desirous of availing of medical treatment outside India may make an application through the Department|Ministry to which the Government servant is attached to the Standing Committee established under this rule in the form specified by the Standing Committee.

(3) A Government servant desiring to avail of medical treatment outside India for himself or for a member of his family for any treatment specified in the Table below shall, subject to the other provisions of this rule, be eligible for medical treatment outside India :

TABLE

(i) Cardio Vascular Surgery;

(ii) Kidney transplant;

(iii) Other organ transplants;

(iv) Joint replacements and surgery;

(v) Bone marrow transplant;

(vi) Certain types of medical and oncological disorder, such as Luekaentia and neo-plastic conditions,

(vii) Micro vascular surgery and Neuro surgery;

(viii) Treatment with Laser which obviates the need of open surgery;

(ix) Treatment with Argon, Krypton and Yag Laser in Opthalmic cases;

(x) Extra corporeal stone disintegration by ultrasonic shock waves.

(4) It shall be competent for the Central Government to review from time to time the list of treatment facilities as specified in the Table to sub-rule (3) and make such additions or deletions as it may deem fit by notification in the Official Gazette.

(5) The Central Government may, for purposes of this rule, constitute a Standing Committee consisting of —

(a) the Director General of Health Services in the Ministry of Health in the Central Government,

(b) the Director General of Armed Forces Medical Services,

(c) the Director General of the Indian Council of Medical Research, and

(d) the Joint Secretary in the Ministry of Health and Family Welfare (Convenor) for purposes of considering and recommending to the Central Government cases for medical treatment outside India.

(6) On receipt of an application for medical treatment outside India, the Standing Committee may, if after due consideration, satisfied that the ailment or treatment can be treated only outside India, issue a certificate to the concerned Department or Ministry to which the applicant Government servant is attached conveying its approval of the application and the concerned Department or Ministry shall, on the strength of that certificate incur necessary expenditure in getting the Government servant concerned or the member of his family treated outside India in accordance with the procedure laid down by the Standing Committee.

(7) It shall be competent for the Central Government to authorise reimbursement of expenditure on medical treatment obtained outside India if it is satisfied that its prior approval could not be obtained by the Central Government servant due to circumstances beyond control.

Provided that the Government servant fulfils all other conditions relating to medical treatment outside India under this rule.

(8) The Standing Committee may, if it is satisfied that in the interest of the Government servant or the member of his family obtaining treatment abroad it is essential so to do, recommend one attendant to accompany the Government servant or the member of his family, as the case may be, and the expenditure so incurred shall also be eligible for reimbursement.

(9) Where the Standing Committee, on receipt of an application for medical treatment outside India consider that adequate facility for treatment of the ailment sought to be treated is available in any medical institution within India, it shall record such a finding and authorise treatment of such ailment in such medical institution within India whereupon the cost of such treatment shall be reimbursed.

(10) For purposes of sub-rule (9), the Ministry of Health in consultation with the Standing Committee shall, from time to time, notify the names of such institutions along with the ailments and the types of treatment available in such institutions.

(11) The scale of expenditure and the eligibility for treatment for which a Government servant or a member of his family shall be entitled, shall be identical to the scale of expenditure and the eligibility of an official of the Indian Foreign Service of the corresponding grade in the Ministry of External Affairs under any Assisted Medical Attendance Scheme for the time being in force."

[No. S-14025/26/85-MS]
P. R. DASGUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986